

सेवा में,  
 श्री मान जनसूचना अधिकारी महोदय  
 राष्ट्रीय परिवहन विभाग- मंत्रालय  
 भारत सरकार- नई दिल्ली

विषय - जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन-पत्र।  
 महोदय, उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कर्तव्य है। सूचनाओं का निर्धारित शुल्क मूल रूप से पत्र के साथ संलग्न है यदि सूचनाओं का शुल्क कम व अधिक है तो अधिनियम के अनुसार समय से सूचित करें। सूचनाएँ निम्नवत हैं

आपके विभाग को दिनांक- 19-3-17 (20-3-17 - ARU574794686IN)

शिकायत-पत्र प्रेषित किया था। शिकायत-पत्र के सम्बन्ध में सूचनाएँ उपलब्ध कराईं।

- 1- उक्त शिकायत-पत्र के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्रवाई अमल में लायी गयी है।
- 2- उक्त शिकायत-पत्र किस अधिकारी को किस तिथि कार्रवाई हेतु दी गयी।
- 3- उक्त शिकायत-पत्र वर्तमान समय में किस स्टेज पर विचारधीन है किस कारण
- 4- उक्त शिकायत पत्र के सम्बन्ध में क्या कोई सूचना शिकायतकर्ता को प्रेषित की गयी।
- 5- एक समा-य जन-शिकायत का निस्तारण कितनी अवधि में होना अनिवार्य है। महोदय यदि, मांगी गयी सूचना आपके/विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो मेरा आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत सम्बन्धित अधिकारी को हस्तांतरित करें। साथ ही सूचना उपलब्ध कराने समय प्रथम अपीलिय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं। अनपथा की स्थिति में आवेदन सूचना आयोग में अपील करने हेतु वाद्य होगा।

दिनांक- 21-7-17

*Handwritten signature*

698

RTI

- संलग्न
- 1- भारतीय पोस्टल आर्डर - 730 211553-55 = 10/-
  - 2- दिनांक- 19-3-17 (20-3-17) ARU574794686 IN शिकायत-पत्र की छाया प्रति

अजय कुमार (रजिस्ट्रार)  
 मोठ- गनेशगंज (द) अशोक कालोनी  
 प. व. व. पूजापुर (पीलीभीत)  
 पिन कोड- 262122. (उ.प्र.)  
 मोबा- 9410286606



*Scanned by US (T) Sr. Ashok Prasad*  
 US (DAM)  
 2/17

सेवा में, श्री मान सचिव महोदय  
 केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय  
 भारत सरकार - नई दिल्ली

विषय- दिना-पीलीभीत 30.03.17 में जेड पैमाने पर अनाधिकृत रूप से टैक्सी व्यवसाय करने  
 के विरुद्ध सब कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि मैंने जेड पैमाने (तहसील, कल्याण आदि)  
 पर निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में विभाग की मिली भगत का व्यवसाय के रूप में  
 संचालित किया जा रहा है जिससे करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है। जो  
 साथ ही टैक्सी परमिट धारकों का आर्थिक शोषण विभाग की कार्रवाई से किया जा  
 रहा है जिससे विभाग की दृष्टि घुमिक्त हो रही है।

जिसे के स्थानों पर अवैध टैक्सी स्टैंड बनाकर अवैध कार्यों को किया जा  
 रहा है यदि निजी को टैक्सी की आवश्यकता है तो वह प्रचारित स्थान पर जा कर  
 वाहन किरोसे पर ले जाता है। शादी विवाह के उत्सव पर 15 से 20 टैक्सी किरोसे पर  
 उपलब्ध करायी जाती है शादी विवाह के सम्पन्न पौलट जगह छोटे वाहन रास्ते पर  
 गुजरते रहते हैं जिससे यह स्पष्ट बात होता है कि निजी वाहन को टैक्सी व्यवसाय पर  
 चलाया जा रहा है किन्तु विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है जो  
 गरीबी अवैध टैक्सी स्टैंड के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है स्वयं पुलिस  
 जब उन्हें भाग डीवाल डालवाने पर ही वाहन मिल जाता है आवश्यकता पड़ने पर तो  
 वह अपने विरुद्ध कार्रवाई क्या करते। विभाग की उदासीनता के कारण सरकार  
 को राजस्व की हानि का समना करना पड़ रहा है। पीलीभीत की नगर पंचायत  
 देवाते ही रोक लिया जाता है वाहन की रोक में लिज्युअर जेथ साथ उपरान्त  
 भी बिना शिक्षित लिज्युअर वाहन को नहीं जाने देते हैं जात्रन की समझ देकर  
 परमिट धारकों से अवैध वाहनों को जाती है

महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तंत्रिकात्मक दायत्वों का निर्धारण  
 को अवैध टैक्सी व्यवसाय के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाने की कृपा  
 करें। जिससे राजस्व की हानि से बचा जा सके।

नोट- धर्मा-पत्र के सम्बन्ध में भी गयी कार्रवाई से धर्मा-को घुमिक्त करने का कष्टकर  
 आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक - 19-3-17

*(Handwritten signature)*

KL GANESH GANI (262122)  
 A RUP574794686  
 Counter No:1, IP-Code:01  
 To: SACHIV, PARIVAHAN MANTRALAY  
 DELHI, PIN:110001  
 From: KAY KUMAR ADV. PURANPUR  
 Wt: 20grams.  
 Sent: 22.00, 20/03/2017, 13:15  
 (Track on www.indiacost.gov.in)



अजयकुमार (एडवोकेट)  
 तहसील परिसर- पूरनपुर (पीलीभीत)  
 पत्राचार  
 अजयकुमार (एडवोकेट)  
 श्री. गौरीशंकर (द) अजीम जालोनी  
 पंचवतह, पूरनपुर  
 दिना- पीलीभीत- 30.03  
 फोन नं- 262122  
 मो नं- 9410288660

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET  
NEW DELHI - 110001

Receipt No. **5190**

Dated **27/12/17**


Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. **अपराजिता शर्मा**

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten  
only) / Fee of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_)

only) for providing information under RTI Act 2005 in  
Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. **73 C 271554 (5/-)**  
**73 C 271553 (5/-)**

Dated .....

  
Signature / Receipt Official (IFC)